राजस्थान-सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांकः-एफ4(ई)(सी-1944/2013)अलेसे-III/ 5143 दिनांक 11/02/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री चिराग त्रिवेद्वी , कनिष्ठ लेखाकार जो कार्यालय कुलसचिव, गुरू गोविन्द जनजाति विश्वविधालय, बांसवाडा में कार्यरत है, को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 03.01.2020 के क्रम में निजी यात्रा पर विदेश भ्रमण (थाईलेण्ड) हेतु दिनांक 21.02.2020 से 26.02.2020 तक निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगें ।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/फैक्स नं0 आदि सूचित करेगे ।
3. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी ।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा गृहण नहीं करेगे ।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगे ।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार अध्ययन नहीं करेगे ।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा ।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा / के माध्यम से कोई व्यय/विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा ।
9. यह अनापत्ति प्रमाण -पत्र जारी करने के पश्चात भी विदेश जाने से पूर्व उचित माध्यम के द्वारा इस विभाग से अनुमति प्राप्त की जावेगी ।
10. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगे ।
11. पासपोर्ट की सत्यापित प्रति इस विंभाग को प्रस्तुत करेगे ।
12. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी ।

यह स्वीकृति जारी करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी ।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः-एफ4(ई)(सी-1944/2013)अलेसे-III/ 5143 दिनांक :- 11/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 कुलसचिव, गुरू गोविन्द जनजाति विश्वविधालय, बांसवाडा को उनके पत्र क्रमांक 2380 दिनांक 03.01.2020 के क्रम में ।

2 श्री श्री चिराग त्रिवेद्वी , कनिष्ठ लेखाकार जो कार्यालय कुलसचिव, गुरू गोविन्द जनजाति विश्वविधालय, बांसवाडा।

(3) ए.सी.पी

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)